

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602881

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि,अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
671मि	1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	1) अन्य / पत्रांक 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण		671मि(1151920671200242)	0.9050	1)-	1) 0.9050	3.13
							0.9050	

कुल गाटे - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.9050 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 3.13 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.9050) (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	
1) अन्य / पत्रांक 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण / RAM SINGH RAWAT / 07-11-2025	1.1) अतिरिक्त घोषित भूमि --- / --- (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	671मि(1151920671200242)	1.1) 0.9050	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	671मि(1151920671200242)	1.1) 0.9050	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :



2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति, संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक) :

19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं. 150/न.भू.सी.2003दि. 1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि.19.5.2003 के द्वारा वाद सं 315/2001सरकार बनाम पूरन में अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा। नि। पाकवड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि. 16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर में गाटा सं. 263पर अमलदरामद में हुई वृत्ति का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि/1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपड़ मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो ह.ले.25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं 263मि/2.27एकड़ में से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्वेश्वर पुत्र रामसरन विश्वेश्वर नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहैसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झाँझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्वेश्वर पत्नी रामराज सिंह विश्वेश्वर नि.वी.एस-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजराजसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि.विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि/0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झाँझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह.ले.31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया में गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि -2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियम अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्रगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन और पुनिया दोनों की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में
- 14) में गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि/0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊषा वर्मा पत्नी धनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व0राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सं. 1.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अन्तर्गत वाद सं. 1.264/2699सरकार बनाम नरायणदास में धारा 45के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94में गाटा सं. 1.336मि/1983.03वर्ग मी.गाटा सं. 1.263मि/2106.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू- धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकवड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातास0370गाटास0303मि रकबा 0.221व गाटास0239मि/0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग् गंगाराम उर्फ गजराज व कु व् रिसैन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम तथा बादह विक्र य पत्र ग् गंगाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्र य पत्र अमृत लाल आदि बहक कें चन

- के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातासं0370गाटासं0303मि/0.221है0 मे से 0.202भाग से गोंगाराम उर्फ गजराम एवं कुंवर सैन पुत्र खिम्मू नि०सोनकपुर का नाम खारिज करके श्रीमती कंचन तलवार पत्नी सी०एल०तलवार नि०102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ह०आर०के०दिनांक 31-1-07
- 23) 1409फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक सं 13213/न.भू.सी./2001दि.14.5.01सुलभ पत्रांक सं 108903न.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमित अधिनियम 1976की धारा 10(2)के अन्तर्गत भू-धारिका श्रीमती कमला वही पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरादाबाद ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा सं 10355के 1 भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक सं 10235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं 190मि 1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा सं 1516मि 1144.72वर्ग मी.कुल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वाद सं 1448/5011में सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सं 190मि रकबा 1423.20वर्ग मी०कुल 2567.92वर्ग मी०भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकारमें पक्ष में कब्जा लिया गया तथा उक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष में दर्ज हो ह०आर०के०दि०010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305/944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अन्तर्गत सरकार
- 29) वनाम जेटू में गाटा सं.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमश.4856-40वर्ग मी०व647.52वर्ग मी०अर्थात् कुल 5503.92वर्ग मी०भूमि उसकी कुल 8393.52 वर्ग मी०में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60वर्ग मी०भूमि होती है
- 30) अतः भूधारक की 889.60वर्ग मी०भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा सं.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदानुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय त ह०आर०के०दि०3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न० भू०सी०/08दि.30.7.08के अनुपालन में पत्रांक 114/न०भू०सी०/03दि.28.5.03के अन्तर्गतसीलिंग वाद सं 11532/5019में दायर अपीलमें माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्डकिया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्चन्यायालयइलाहबाद में दायर रिट याचिका सं 16729/97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात् निरसन अधिनियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण सुक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसितकिया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदानुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथाराजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 34) पर भूधारक श्री वालकिशोर भटनागर पुत्र स्व०श्री रामचन्द्र नि०हरथला के नाम दर्ज होग्राम का नाम/गाटा सं 1/क्षेत्रफल वर्ग मी०मेक्रम सं 1-ग्राम मऊ गाटा सं 1516मि रकबा 1144.72वर्ग मी०व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा सं 190मि रकबा 1443.83वर्ग मी०कुल 2किता रकबा 2588.55वर्ग
- 35) मी० ह०आर०के०दि०07.3.09
- 36) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.385 के खसरा न.866 रकबा 0.486हे०लगानी वमुजिब खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80एकड़ पर से विक्रेता चन्द्रसैन पुत्र स्व०जेटू निवासी मिलक भोला सिंह तह०
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह० अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ सं०भू०के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात् मृतक शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह०.
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल निवासी हाल खुशहालपुर तह०व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95सं०भू० के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह०आर०के० 5.6.09
- 39) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य /2007-08धारा 219एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं.195पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय त अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं.7/89/07एवं अपील सं.26/123उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं.353/03भानुप्रकाश वनाम मु.पुनिया तथा वाद सं.97भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय त तब तक प्रतिपक्षी सं.1भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह०व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण/विक्रय करने से निषेध किया जाता है त ह०आर०के०दि०25.7.09

- 17फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/ 100सी0/08दिनांक 3.10.08के अत्रगत शासन देश सं.513/उन्वास-152(47)यू0सी0/83दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावर्तित की गई /तपश्रुता सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.879से 8943.87व0मी0गाटा सं. 1.873से 654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई । सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.17.2.01के द्वारा निरसन अधिनियम 1999के अनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा सं. 1.879/ 8943.87व0मी0गाटा सं.873/654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद में गाटा सं. 1.879/8947.87 व0मी0व गाटा सं.873रकवा 1059.14व0मी0का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया । अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 217वी0दिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 में अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं. 1.873/654.44व0मी0के
- 46) स्थान पर 1059.14व0मी0सही पढा जाय । ह0आर0के 023.9.09
- 47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0/010 दिनांक 30.4.10के अत्रगत वाद सं.2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0में धारा 10(3)के उपरान्त धारा 10(5)की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अत्रगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं.538/1133.16 व0मी0गाटा सं.541/654.45व0मी0भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के 0दि.5.5.10
- 49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद वाद सं. 1.455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं. 385 के गाटा सं. 1.866/0.486 हे. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता चन्द्र सैन पुत्र स्व0जेठू नि0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के 016.6.10
- 51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद सं. 1.117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं. 385 के गाटा सं. 1.866/0.486 हे. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता
- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के 0 27.7.10
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं. 1.77/10धारा 143ज0वि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अत्रगत में हिन्द निहोन प्रोटीन्स वनाम सरकार में तहसील आख्या / सस्तुति के आधार पर खाता सं. 1.30गाटा सं. 1.566/0.028 का 1/2भाग एवं खाता सं. 1.385 के गाटा सं. 1.538मि0/0.113
- 54) 541/0.065हे.को अकृषिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के 018.8.10
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.31/820/454/2011-12धारा34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263/2043.20 वर्ग मी0 भानुप्रकाश वनाम . मु0पुनिया में दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्नगत वाद में वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) में हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 में मौके पर आबादी / गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है. बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है. उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है . ह0आर.के...1.4.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म में . मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/ 2011ख खमानी वनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकवा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते में अंकित है . जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये . शासनादेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 में धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम में अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिये कि या जायेगा . 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा . परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा . 3- कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक , वित्तीय संस्था अथवा . केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष में कि या जा सके गा. ह0आर.के...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक. मुरादाबाद द्वारा वाद सं.072151354014307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खाता सं.371 के गाटा सं.263/1 रकवा 0.2020हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमुजिव खतौनी पर अंकित त मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप में अंकित त हो । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है । ह0आर.के

- 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0120151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि.28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम मानुप्रताप शर्मा मे खतौनी वर्ष 1420-25 के खातासं.371के खसरानं. 263/1 रकवई 0.2020हे, अर्थात 2020.00वर्ग
- 65) मीटर लगान बमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है 1 ह0आर.के 07.9.15
- 66) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर,मुरादाबाद द्वारा वादसं0120141354015842 आदेश दि.15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकवा 0.040हे. लगान बमुजिव खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे, पर से विक्रेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73, आवतिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बेनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो 1 ह0आर.के 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है 1 की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है 1 ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद, पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फैजबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं.-316/1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है ,जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे , अमलदरामद कि या गया , लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करें , ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मेधारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आरके23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आर0के0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों, ह0आर0के0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे0अर्थात 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्तार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के

798 की 3080 वर्ग मीटर भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो 1 के स्थान पर श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्त्यार अथवा उनके वैध वारिसों के नाम दर्ज हो 1 ह0आर0के0दि 12.8.16
1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413 धारा 210 एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश
दि 28.9.16 के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015 को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ
के खाता सं0 371 के खसरा नं0 263/1 रकवई 0.2020 हे0 अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो ह0आर0के0दि 03.10.16

81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन मे आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या
टी 2016130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि मे ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower
court shall remain stayed. हआरके08-03-17

82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न0भू0सी0/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार
बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 /मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0सरकार मे ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620
रकवई 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकवई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन मे उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके
वैध वारिसानो के नाम दर्ज हो हआरके08-03-17

83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन मे जिलाधिकारी मुरादाबादके आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक
17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये है तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम
सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि
सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम
एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज है के
स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्त्यार अथवा उनके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है दिनांक 12-08-16 को
वापस ले लिया गया है तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष मे किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है हआरके24-3-17

84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन मे - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं
टी201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के
निस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे हआरके19-02-18

85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस0बी0तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी0 2017130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 27/07/2017
के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं0 371 के गाटा सं0 263/1 रकबा 0.202 हे0 अर्थात् 2020.00 वर्ग मी0 पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत
आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की
जाती है . इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है ह0आर0के0 ह0आर0के0 19/05/2018

86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा0नि0 दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक
19.11.2020 को आदेश हुआकि खाता सं0 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह, ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि0भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो
ह0आर0के0दि 28.12.2020

Data Digitally Signed By: RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)

दिनांक समय स्थान: 12-02-2026 09:21:13 तहसील: मुरादाबाद


यह दस्तावेज सही ढंग से प्रमाणित किया गया है तथा इसका डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया गया है।

मुद्रित कर्ता: FUSHAR BHAENAGAR तहसील: मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 09:21:13

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्देश्य खतौनी का वेरीफिकेशन
<https://opblnkhk.gov.in/Website> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा
सकता है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

455513



14 OCT 2009

बयनामा



बयनामा 9,44,700/-रु० मालयती 9,44,700/-रु० स्टाम्प 66,150/-रु०

मैं/हम कि राजाराम पुत्र श्री भीमसैन निवासी-मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष विक्रेता व उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता है ।


प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



14 OCT 2009


आज दिनांक.....को एक किता

रटाम्प धनराशि.....कुल धनराशि.....

श्री.....को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

384888



- 2 -

21 JUL 2009

जो कि एक किता काश्त आराजी बकदर भाग गाटा सं०-671मि रकबई 0.2010 हैक्टेयर खतीनी नं०-235 जायदाद जैल जर्मी ताल्लुकात मुताल्लिका उसके वाके ग्राम सोनकपुर व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिसके मुकिर/मुकिरान व हैसियत मालिकाना मालिक काबिज व मालिक है, जिस पर प्रथम पक्ष वहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है । जिसके निस्वत प्रथम पक्ष विक्रेता को कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है । कोई अन्नमान इन्तकाल हाजा नहीं है जो इस समय तक हर प्रकार के बारमिस्ल रहन बय हिबा जमानत किफालत कुर्की व नीलागी दीगरें व लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है ।

प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुरादाबाद विकास अधिकरण
मुरादाबाद

दि. 21/7/09
राजका



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

384889



- 3 -

21 JUL 2009

लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हवाश खाम्सा विला बहकाये व सिखाये व दवाव नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमागी शयमुवईया मजकूराबाला को मय तमागी हद्द व हकूक दाखली व खारजी व मय हकूक आवरेजी हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफत व मय दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिका उसके को विला छोडे किसी जुज व हक व हिस्से के विल एवज मुबलिंग रूपये 9,44,700/- (नौ लाख चौवालिस हजार सात सौ रूपये) आधे जिसके मुबलिंग रु-4,72,350/- (चार लाख बहत्तर हजार तीन सौ पचास रूपये) बदस्त उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद क्रेता वय कतई और फरोख्त कांमिल करके कुल जरे समन उसका हस्व तपसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमागी शयमुवईया मजकूरा वाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्लजात खास अपनी के द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दिया अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी वारिसान का कुछ हक ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी

प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

दि. 21/7/09

21/7/09



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


G 729691



- 4 -

24 AUG 2009

किस्म का निस्वत शय मुबईया या जरे समन उसके से बाकी नहीं रहा और न ही आइन्दा कभी होगा । चुनांचे तकाबिजुल बदलैन उसका बहम प्रथम पक्ष (विक्रेता) व द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अमल में आ गया है जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) है अगर बाद को कोई कानूनी व शास्त्रान बाके आवे अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) शय मुबईया जुज या कुल कब्जे द्वितीय पक्ष (क्रेता) या बारिसान उसके से निकल जाये या बगरज तहफफुज शयमुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पडे तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मैं प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूल व गैरमनकूला हर किस्म से कुल हरजे व खरचे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष होंगे । यनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियों व जिम्मेदारियों जिम्मे प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होगी । आराजी की वावत पूर्व में कोई मुआयदावय नहीं हुआ है आराजी वक्फ या कस्टोडियन या ग्राम समाज से सम्बन्धित नहीं है । अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लें प्रथम पक्ष (विक्रेता) को उज व एतराज न होगा । आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है ।


 प्रदीप कुमार सिंह
 संयुक्त सचिव
 पुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 999613



- 5 -

24 AUG 2009

आराजी उपरोक्त में कोई भवन पेड़ कूप, वोरिंग आदि नहीं है । आराजी मजकूर में मौके पर 200मी० की त्रिज्या में खेती हो रही है । आराजी मुबईया कृषि भूमि गाटा सं०-671मि. का सरकिल रेट जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जारी मूल्यांकन सूची परिशिष्टि-एक उपखण्ड-ग के क्रमांक-31 के अनुसार रुपये 10,00,000/- प्रति एकड निर्धारित है, किन्तु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण रुपये 19,00,000/- प्रति एकड की दर से मालियत पर स्टाम्प शुल्क रुपये 66,150/- अदा किया जा रहा है उक्त रेलवे, मार्ग मुरादाबाद दिल्ली से करीब 500 मी० दूर दक्खिन की तरफ है ।


प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद


दि ०२१
०१/०८/०९

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 808205

- 6 -

विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रेय किया है तथा विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है । पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री मुमताज हुसैन, एडवोकेट पंजीयन सं०-10864/03 चैम्बर नं०-139ए कचहरी मुरादाबाद के द्वारा प्रमाणित किये है । अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे । इति । तफसील बसूली जरे समन मुबलिंग रूपये 9,44,700/- (नौ लाख चौवालिस हजार सात सौ रूपये) बैंक संख्या 131316 दिनांक 23.03.2010 केनरा बैंक एम.डी.ए. शाखा मुरादाबाद बयनामा हाजा कवल रजिस्ट्री प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया ।


प्रदीप कुमार सिंह
संपुक्त सचिव
पुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद


MUMTAZ HUSSAIN
CH.No-10
REG. 10/03
MURADABAD

दि. २०
रजि. २०१३

आज दिनांक 21 MAY 2009 को एक दिनांक
 स्टान्य धनराशि 50 का राशि 277400
 श्री. श्री. दोहरे बास्ते उपाध्याय मुरादाबाद जिला प्रशासन मुरादाबाद
 को कोषागार मुरादाबाद में दे दिया।

मुख्य रोकाईया
 कोषागार मुरादाबाद

विक्रय पत्र
 944,700.00/ 948,000.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000
 प्रतिफल मालियत फीम रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0 प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0
 पुत्र श्री वासुदेव
 पेशा नौकरी
 निवासी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/3/2010 समय 2:56PM
 बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव
 उप निबन्धक (द्वितीय)
 मुरादाबाद
 27/3/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
 विक्रेता क्रेता

श्री राजाराम
 पुत्र श्री भीमसैन
 पेशा कृषि
 निवासी मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर मुरा0



श्री अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0
 प्रतिनिधि मु0वि0प्रा0मुरा0
 पुत्र श्री वासुदेव
 पेशा नौकरी
 निवासी कार्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री वावूराम

पुत्र श्री भीमा

पेशा

निवासी सोनकपुर मुरा0

व श्री मी0 आरि फ एड0

पुत्र श्री

पेशा वकलत

निवासी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निजान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव
 उप निबन्धक (द्वितीय)
 मुरादाबाद
 27/3/2010

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 808206

- 7 -

हदूद अरवा आराजी मुवईया गाटा सं० 671में

पूर्व—	गाटा संख्या—672
पश्चिम—	गाटा संख्या—669, 670
उत्तर—	रेलवे लाईन
दक्षिण—	सीलिंग भूमि एवं रास्ता

प्रवीण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुरावाबाद विकास प्राधिकरण
मुरावाबाद

११०७०
राजाराज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 808207

- 8 -

प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
हस्ताक्षर
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

हस्ताक्षर
क्रि० न०
राजाराम

राजाराम पुत्र श्री भीमसैन
निवासी-मिलक भोला सिंह
उर्फ सोनकपुर, तहसील व
जिला मुरादाबाद।

विक्रेता



क्रेता

साक्षी-1 श्री सुरेश पुत्र श्री राजाराम
निवासी-सोनकपुर
तहसील व जिला मुरादाबाद।

हस्ताक्षर
सुरेश



साक्षी-2 श्री बाबूराम पुत्र श्री भीमा
निवासी-सोनकपुर
तहसील व जिला मुरादाबाद।

हस्ताक्षर
क्रि० न०
बाबूराम

यह बयनामा हाजा दिनांक 26.03.2010 को बईकरार मशबरा पक्षकारान बमुकाम
मुरादाबाद टाईप किया गया।

Munir Ahmad
Sec

21 MAY 2009

आज दिनांक.....को एक किता
स्टाम्प धनराशि.....
श्री. बी. पी. वास्ते उपाध्यक्ष मुरादाबाद जिला प्रशासन मुरादाबाद
को कोषागार मुरादाबाद जिला प्रशासन।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

क्रेता

Registration No. : 2069

Year : 2010

Book No. : 1

0201 अर्जुन सिंह लिपिक द्वारा अधिकृत मु0वि0प्रा0मुरा0 प्रतिनिधि =
वासुदेव
कन्या0 मु0वि0प्रा0मुरा0
नीकरी




जन्मशा गजरी 051

ग्राम - सोनकपुर तहसील जिला मुन्नादाबाद

ग्राम - सोनकपुर


गाय सं. - 671 गि.


कै. - 0-20 हेक्टर




प्रदीप कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
मुन्नादाबाद विकास प्राधिकरण
मुन्नादाबाद

रस्ता


26-3-10


26/3/2010

अ. 35

राजाराज

आज दिनांक 27/03/2010 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 6450
पृष्ठ सं. 387 से 408 पर क्रमांक 2069
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी0 के0 यादव
उप निबन्धक (द्वितीय)
मुरादाबाद
27/3/2010

